रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06082025-265226
CG-DL-E-06082025-265226

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 483]	नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 4, 2025/श्रावण 13, 1947
No. 483]	NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 4, 2025/SHRAVANA 13, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 526(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (श्रेणी III) भर्ती नियम, 1964 को, जहां तक उनका संबंध तकनीकी सहायक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण में तकनीकी सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, (तकनीकी सहायक) समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2025 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंधित वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट होंगे।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित मामले वही रहेंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.- कोई भी व्यक्ति, -

   (1) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(2) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन स्वीकार्य है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.- यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो उसके लिए कारण को लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद है**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
तकनीकी सहायक।	04* (2025) *कार्यभार के आधार पर इसमें परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनअनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-6 रु. 35400-112400 ।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा।	**सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अहर्ताएं।**	**क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगी**	**परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।**
(6)	(7)	(8)	(9)
तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पणी:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित	<u>अनिवार्य</u> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कार्बनिक रसायन विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री। <u>वांछनीय</u> डिग्री स्तर पर वनस्पति विज्ञान विषय के रूप में अध्ययन किया हो। टिप्पणी 1.- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में	लागू नहीं होता।	2 वर्ष टिप्पण : सीधे भर्ती के माध्यम से नियुक्त व्यक्तियों द्वारा परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित दो सप्ताह की अवधि का आज्ञापक प्रवेश प्रशिक्षण होगा।

की जाएगी।	कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पणी 2.- अनुभव संबंधित अर्हता (अर्हताएं) कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के प्राप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।		

भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(10)	(11)	(12)	(13)
सीधी भर्ती द्वारा नोट: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लम्बी बीमारी या अध्ययन अवकाश पर या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण होने वाली रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है। (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 के पदों पर छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) कॉलम (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हता और अनुभव रखते हों।	लागू नहीं होता।	समूह 'ख' (अराजपत्रित) विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित शामिल होंगे :- 1. निदेशक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, कोलकाता - अध्यक्ष; 2. कार्यालय प्रमुख, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, कोलकाता -सदस्य; 3. कार्यालय प्रमुख, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, कोलकाता -सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा.सं. 01/10/2023-सीएसबी]

नमिता प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2025

G.S.R. 526(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Botanical Survey of India (Class III) Recruitment Rules, 1964 in so far as it relate to the post of Technical Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Technical Assistant in the Botanical Survey of India under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Botanical Survey of India, (Technical Assistant) Group 'B' (Non-Gazetted) Post Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix .– The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be a specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.– The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.– Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Pay level in the pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Technical Assistant.	04* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non – Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 6 in the pay matrix Rs. 35400-112400.	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**
Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note.- The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Essential Masters Degree in Organic Chemistry or Bio-Chemistry from a recognised University. Desirable Studied Botany as a subject in degree level. Note 1.- The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2.- The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission or competent authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable.	Two years. Note.- There shall be a mandatory induction training of two weeks duration for successful completion of the probation for direct recruits as prescribed by the Central Government.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	**In case recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(10)	**(11)**	**(12)**	**(13)**
By direct recruitment Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government – (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or	Not applicable.	**Group 'B' (Non-Gazetted) Departmental Promotional Committee (for considering confirmation) consisting of :-** **1. Director, Botanical Survey of India, Kolkata – Chairman;** **2. Head of Office, Botanical Survey of India, Kolkata – Member;**	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

department; or (ii) with six years regular service in posts in level 5 of the pay matrix; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Col. (7).		3. Head of Office, Zoological Survey of India, Kolkata – Member.	

[F. No. 01/10/2023-CSB]

NAMEETA PRASAD, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA

Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.08.06 13:56:01 +05'30'